

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457] No. 457] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2015/फाल्गुन 11, 1936

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2015/PHALGUNA 11, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2015

का.आ. 628(अ).—यत: दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कितपय संशोधन करने का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.09.2013 की सं. का.आ. 2923(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित आपत्तियों /सुझावों पर विचार किया था; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1003 GI/2015 (1)

संशोधन:

जोन-'एफ' में दिल्ली एमआरटीएस परियोजना फेज-III (लाइन-8) के जनकपुरी (पश्चिम)-बॉटेनिकल गार्डन-कालिंदी कुंज कॉरिडोर के निर्माण हेतु खेल परिसर, हौज खास, आर.के.पुरम स्थित 3753.00 वर्ग मीटर क्षेत्र के भूमि उपयोग का मनोरंजनात्मक (आरक्षित वन) से परिवहन में परिवर्तन । प्लॉट की सीमाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग मु (दि.मु.यो- 2021)	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तन किया जाना है	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आईआईटी-2 प्रस्तावित स्थल बाहरी रिंग रोड पर आई.आई.टी. के सामने खेल परिसर हौज खास, आर.के. पुरम में अवस्थित है।	1631.0 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	परिवहन	उत्तर: जिला पार्क दक्षिण: बाहरी रिंग रोड पूर्व: सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया पश्चिम : जिला पार्क (रोज गार्डन)
2	आईआईटी-3 प्रस्तावित स्थल बाहरी रिंग रोड पर आई.आई.टी. हॉस्टल के सामने खेल परिसर, हौज खास, आर.के. पुरम में अवस्थित है।	1035.0 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	परिवहन	उत्तर: जिला पार्क दक्षिण: बाहरी रिंग रोड पूर्व: सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया पश्चिम : जिला पार्क (रोज गार्डन)
3	आईआईटी-4 प्रस्तावित स्थल बाहरी रिंग रोड पर आई आई.टी. हॉस्टल के सामने खेल परिसर, हौज खास, आर.के. पुरम में अवस्थित है।	10 87.0 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)	परिवहन	उत्तर: जिला पार्क दक्षिण: बाहरी रिंग रोड पूर्व: सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया पश्चिम: जिला पार्क (रोज गार्डन)
	कुल	3753 वर्ग मीटर			

शर्तें :

- (क): क्योंकि यह भूमि आरक्षित वन क्षेत्र की है इसलिए वन विभाग और अन्य संबंधित सांविधिक निकायों से डी.एम.आर.सी. आनापत्ति प्राप्त करेगा।
- (ख): पेड़ काटने से संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से डीएमआरसी आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करेगा/यदि अपेक्षित हुआ तो सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार ।

[फा. सं**.** के-13011/24/2013-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2015

S.O. 628(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2923(E) dated 27th September, 2013 by the Delhi

Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority, and
- 3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, has decided to modify the Master Plan of Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The change of land use of an area 3753.0 sqm from 'Recreational' (Reserve Forests) to 'Transportation' at Hauz Khas, R.K. Puram for construction of Janakpuri (West) – Botanical Garden – Kalindi Kunj Corridor of Delhi MRTS Project, Phase-III (Line-8) in Zone F. The boundaries description of the plot is as under:

Sl. No	Location	Area	Land use	Land use	Boundaries
			(MPD-2021)	Changed to	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	The proposed site is located on Outer Ring Road opposite to the IIT Hauz Khas, R.K. Puram.	1631.00 sqm	Recreational (District Park)	Transportation	North: District Park South: Outer Ring Road East: Safdarjang Development Areas West: District Park (Rose Garden)
2.	The proposed site is located on Outer Ring Road opposite to the IIT Hostel at Sports Complex, Hauz Khas, R.K. Puram.	1035.00 sqm	Recreational (District Park)	Transportation	North: District Park South: Outer Ring Road East: Safdarjang Development Areas West: District Park (Rose Garden)
3.	The proposed site is located on Outer Ring Road opposite to the IIT Hostel at Sports	1087.00 sqm	Recreational (District Park)	Transportation	North: District Park South: Outer Ring Road East: Safdarjang Development Areas West: District Park (Rose Garden)

Complex, Hauz Khas, R.K. Puram.			
Total	3753 sqm		

Conditions:

- (a) DMRC shall obtain clearances from Forest Department and other concerned statutory bodies since the land is falling within the Reserve Forest area.
- (b) DMRC shall obtain necessary clearances from statutory Authorities concerned for cutting of trees. If required, as per the statutory requirement.

[F. No. K-13011/24/2013-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.